# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 64 / 2023

तारीख दायरः–07.06.2023
तारीख निर्णयः–04.04.2025

1. श्री प्रवीण कुमार पिता जोगाराम भजात निवासी खाटीकमदी तहसील झाडोल।
2. श्री बंशीलाल पिता जोगाराम भजात निवासी खाटीकमदी तहसील झाडोल।

..........प्रार्थीगण

## बनाम

1. श्री रमेश पिता भीमराज मीणा निवासी खाटीकमदी तहसील झाडोल।
2. श्री जगदीश कुमार पिता शंकरलाल कसौटा निवासी मादडी तहसील झाडोल।
3. श्रीमती नानुडी पुत्री कुरीया मीणा निवासी मादडी तहसील झाडोल।
4. श्री पवन पुत्र कुरिया मीणा निवासी मादडी तहसील झाडोल।
5. श्रीमती रम्भा पुत्री कुरिया मीणा निवासी मादडी तहसील झाडोल।
6. श्री राजेश कुमार पुत्र सुखलाल खोखरिया निवासी माणस / रणफला बाघपुरा।
7. श्री रोशन पुत्र मांगीलाल भील निवासी झाडोल तहसील झाडोल।
8. श्रीमती लिम्बडी पुत्री लालु कसौटा निवासी देवनपाडा तहसील झाडोल।
9. श्रीमती शान्ता पत्नी भीमराज भजात निवासी खाटीकमदी तहसील झाडोल।

................अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से– श्री शिवनारायण पुरोहित

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा मादडी पटवार हल्का मादडी तहसील झाडोल में आराजी नम्बर 3049 रकबा 1.0900 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा मादडी पटवार हल्का मादडी तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 3049 रकबा 1.0900 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय
ल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित
ने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी
धिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो
पने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
स्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार
ाश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खाातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने
ो आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना
ाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना
एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी
किये जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार
किया जाता है एवं कि कि कि मौजा मादडी पटवार हल्का मादडी तहसील झाडोल की आराजी
नम्बर 3049 रकबा 1.0900 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की स्थिति में दोनो
पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार
फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल-उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner